न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 09/16 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2016/00306

उनवान

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र भगवत सिंह
2. शान्ति उर्फ कस्तूरी पत्नि राजेन्द्र सिंह

} जाति जाट निवासी ग्राम नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजवीर (मृतक)
   1/1. निर्मला वेवा राजवीर
   1/2. विष्णु पुत्र राजवीर

   } निवासी ग्राम नाम तहसील नदबई हाल नि0 चिकसाना तह0 व जिला भरतपुर।
2. भगवानदेई पत्नि हरवीर
3. गोविन्द सिंह पुत्र भगवत सिंह(मृतक)
4. सोनवीर पुत्र गोविन्द
5. सतीश
6. श्रीभान

   } पिस0 सोनवीर नाबालिग जरिये पिता सोनवीर।

   } नि0 ग्राम नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. ग्राम पंचायत खटौटी तहसील नदबई जरिये सरपंच।
8. ए.बी.ए.जी बैंक डहरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
10. सब रजिस्ट्रार नदबई।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई दि0 15.09.2015 मि.नं. 170/08 उनवानी राजवीर बनाम गोविन्द सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विजय सिंह कुन्तल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक–05.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर नदवई के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वादपत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बुढवारी कलॉ तहसील नदवई में स्थित है। प्रतिवादी अपीलाण्ट को उक्त आराजी विभाजन से गोविन्द सिंह के अधिकार में आयी है। गोविन्द सिंह के दो पुत्र हरवीर व सोनवीर हैं जिसमें से हरवीर का स्वर्गवास हो गया है जिसका गोविन्द सिंह की आराजी में 1/3 हिस्सा निहित था। जिममें वादीगण रैस्पो0 वहिस्सा बराबर के खातेदारी अधिकार रखते हैं। परन्तु कर्ताखानदान होने से खातेदारी का इन्द्राज गोविन्द सिंह के नाम दर्ज है। अतः वादीगण रैस्पो0 गोविन्द सिंह के हिस्से में दर्ज 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकार दर्ज कराने के अधिकारी हैं तथा आराजी खसरा नम्बर 999, 1335, 352/1533, 461, 462 का वयनामा दिनांक 20.04.2006 को प्रतिवादी अपीलाण्ट संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी अपीलाण्ट संख्या 02 के हक में कराया है वह नल एण्ड बोइड है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस रैस्पो0 के अभिभाषक ने NO INSTRUCTION किया। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड पर गौर किये बिना ही दावा वादी समस्त खसरा नम्बरान पर डिक्री कर दिया जबकि विवादित आराजी खसरा नम्बरान पर प्रतिवादी अपीलाण्ट सम्पूर्ण का खातेदार दर्ज नहीं है। रैस्पो0 ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि वादीगण रैस्पो0 को गोविन्द सिंह के हिस्से में 1/3 का खातेदार दर्ज किया जावें। यह है कि जन्म, मृत्यु के बाद हुआ हो तो अधिकार नहीं मिलते। परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि जन्म दादा की मृत्यु से पहले हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर

राजस्व अपील प्राधिकारी

गौर नहीं किया कि वादी रैस्पो0 ने खसरा नम्बर 461, 462 की बाबत् पूर्व में विभाजन हो जाने व दोनों खसरा नम्बरान गोविन्द सिंह के नाम दर्ज हो जाने का कोई भी रिकार्ड पेश नहीं किया है, तो अधीनस्थ न्यायालय ने यह कैसे व किस आधार पर मान लिया कि उक्त खसरा नम्बर समस्त गोविन्द सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है जबकि गोविन्द सिंह उक्त खसरा नम्बरान में मात्र 1/3 हिस्से का हिस्सेदार दर्ज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर 1971 पेज 76, 1980 पेज 558, सीटी 2016(1) पेज 322, आरआरडी 1984 पेज 873, 2011 पेज 8 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से विवादित आराजी का पैतृक आराजी होना तो सिद्ध है। वादी रैस्पो0 ने अपने वाद में गोविन्द सिंह के हिस्से में दर्ज हिस्से में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज करने का अनुतोष चाहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलाण्ट ने अपने जवाव दावा में कथन किया है कि खसरा नम्बर 461, 462 जो इन्द्राज प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 03 गोविन्द सिंह व अपीलाण्ट राजेन्द्र के नाम दर्ज हैं वह इन्द्राज रिलीज डीड के आधार पर आये हैं जिसके आधार पर 2/3 हिस्से पर राजेन्द्र सिंह व 1/3 हिस्से पर गोविन्द सिंह खातेदार दर्ज हैं और गोविन्द सिंह ने अपना समस्त 1/3 हिस्सा प्रतिवादी अपीलाण्ट संख्या 02 शान्ति को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा से विक्रय कर दिया है शेष खसरा नम्बरान से प्रतिवादी अपीलाण्ट का कोई संबंध सारोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर दावा वादी रैस्पो0 अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बरान 461 व 462 पर भी दावा वादी रैस्पो0 डिक्री कर दिया। जबकि विवादित खसरा नम्बरान पर मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 03 गोविन्द सिंह खातेदार दर्ज नहीं है। वादीगण रैस्पो0 ने अपने दावा में यह कही अंकित नहीं किया है कि विवादित आराजी में गोविन्द सिंह का कितना हिस्सा निहित है ना ही वादीगण रैस्पो0 ने विवादित आराजी खसरा नमबर 461, 462 बाबत् पूर्व में हुये विभाजन एवं विभाजन में उक्त खसरा नम्बर गोविन्द सिंह को प्राप्त होने का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है, तो अधीनस्थ न्यायालय ने यह किस प्रकार सिद्ध मान लिया कि उंक्त खसरा नम्बरान समस्त गोविन्द सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है जबकि गोविन्द सिंह उक्त खसरा नम्बरान में मात्र 1/3 हिस्से का ही हिस्सेदार दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने गोविन्द सिंह के द्वारा विक्रय की गयी भूमि को गोविन्द सिंह के हिस्से से कम किया गया है। परन्तु दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने यह आपत्ति ली है कि गोविन्द सिंह के नाम अन्य खसरा नम्बरान भी खातेदारी में हैं तो अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह खसरा नम्बर 461 व 462 के अलावा अन्य आराजी में से रकवा कम करते। उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विवेचना उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में ही तय होने वाला बिन्दु है। अतः हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि उक्त बिन्दु पर पृथक से तनकी कायम करते हुये एवं उभयपक्ष को उक्त तनकी पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2015 निरस्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को पुनः साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये, विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.02.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05-02-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर